संख्या–1903/V–2/05(आ0)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

आवास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–1813/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13–11–2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय भीमताल होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील नैनीताल आच्छादित होगा।
(2) क्षेत्रीय कार्यालय गरमपानी में अवस्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील धारी, ओखलकाण्डा, बेतालघाट एवं कोस्या–कुटोली आच्छादित होगें।
(3) क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रामनगर एवं कालाढूंगी आच्छादित होगें।

2– उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3– जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

4– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातें में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5– नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रीयत सेवा के पदों पर कार्यरत कार्मिक अधिसूचना निर्गत होने की तिथि अर्थात दिनांक 13–11–2017 से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के उक्त पदों पर स्वतः ही यथावत् समायोजित/कार्यरत् समझे जायेंगे।

6– अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर जनपद के पर्वतीय भू–भाग में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू–भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

1015
17.11.17

संख्या 1903/V–2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।

4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– जिलाधिकारी, नैनीताल।

7– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल।

8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।

9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

10– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।

11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।